



केन्द्रीय विद्यालय संगठन
KENDRIYA VIDYALAYA SANGATHAN

18-संस्थागत क्षेत्र,
18, INSTITUTIONAL AREA
शाहीद जीत सिंह मार्ग,
SHAHEED JEET SINGH MARG
नई दिल्ली-110 016
NEW DELHI-110016

फैक्स FAX: 26514179 फोन PHONE : 26858570
Website : www.kvsangathan.nic.in

F.11074-1/2016-KVS(HQ)/(Admn-I)

Date: 03.01.2017

ORDER

Sanction of the HRM-cum-Chairman, Kendriya Vidyalaya Sangathan is hereby accorded to open a new Kendriya Vidyalaya in the campus of **Nagaland University in Lumami campus, Nagaland under IHL Sector** from class I to V (single section in each class) from the academic year 2017-18 with consequential growth based on feasibility.

The sponsor i.e. Nagaland University in Lumami campus (Nagaland) will be responsible to provide as agreed to in the proposal and Memorandum of Understanding (MoU):

1. Permanent Vidyalaya building as per the specifications of the KVS
2. 100% staff quarters to all the staff of the Kendriya Vidyalaya
3. All recurring & non-recurring expenditure including proportionate over-head charges and future development expenditure.

The sponsor shall remit the budgeted amount of recurring /non-recurring expenditure in advance installments to the Deputy Commissioner, KVS, Tinsukia Region i.e. first installment in the month of April and second in the month of October for each financial year.

In case the sponsor fails to fulfill their commitment as agreed to, the Commissioner, KVS is empowered to reduce the number of classes/sections and also direct the closure of Kendriya Vidyalaya by giving due notice to the sponsor.

The admission to the Kendriya Vidyalaya will be as per the priorities/rules prescribed by the KVS from time to time for the KVs under IHL Sector.


(Dr. E. Prabhakar)

Joint Commissioner (Pers.)

Distribution:-

1. PS to Hon'ble HRM & Chairman, KVS, New Delhi.
2. PS to Secretary (SE&L) & Deputy Chairman, KVS, New Delhi.
3. PS to Vice-Chairperson, KVS, New Delhi.
4. The Registrar, Nagaland University in Lumami Campus, Nagaland.
5. Deputy Secretary (UT), MHRD, Shastri Bhawan, New Delhi for information.
6. PS/EA to Commissioner, KVS, New Delhi.
7. PS to the Additional Commissioner (Admn.)/(Acad.) KVS, New Delhi.
8. Joint Commissioner (Trg.), KVS for information w.r.t. his note dated 02.08.2016.
9. The Joint Commissioner (Acad.) KVS, for information & necessary action.
10. The Deputy Commissioner, KVS, Regional Office, Tinsukia with the request to liaise with the sponsoring authority and make the KV functional w.r.t. 01.04.2017. He is also requested to inform the name of Parliamentary Constituency in which this school fall, for record of this office.
11. The Joint Commissioner (Trg.)/(Admn.)/(Pers.), KVS, New Delhi .
12. The Joint Commissioner (Finance), KVS, for information & necessary action.
13. The Deputy Commissioner, KVS, All Regional Offices.
14. The Deputy Commissioner, EDP Cell, KVS, for uploading the order on KVS web site.
15. The Secretary, C.B.S.E., Preet Vihar, Delhi.
16. The Director, ZIET, KVS, Gwalior /Mumbai/ Mysore/ Chandigarh/ Bhubneshwar.
17. All Officers/Sections, KVS (Hqrs.), New Delhi.
18. Guard File.



F.11074-2/2016-केविसं (मु.)/प्रशा. 1

दिनांक: 03.01.2017

आदेश

मानव संसाधन विकास मंत्री एवं अध्यक्ष, केंद्रीय विद्यालय संगठन द्वारा उच्चतर शिक्षण संस्थान के अंतर्गत नागालैंड विश्वविद्यालय, लूमामी परिसर, नागालैंड में शैक्षणिक सत्र 2017-18 से कक्षा 1 से 5 तक (प्रत्येक कक्षा में एक सेक्शन) खोलने की संस्वीकृति प्रदान कर दी गई है। इसके पश्चात साध्यता के अनुसार कक्षाओं में वृद्धि होगी।


प्रायोजक प्राधिकरण नागालैंड विश्वविद्यालय, लूमामी परिसर, नागालैंड के प्रस्ताव एवं तदनुसार हुए समझौता ज्ञापन में प्रदत्त सहमति के अनुसार वे निम्न सुविधाओं को उपलब्ध करवाने के लिए उत्तरदायी होगा:-

1. केंद्रीय विद्यालय संगठन के विनिर्देशों के अनुसार स्थायी विद्यालय भवन।
2. केंद्रीय विद्यालय के सभी कर्मचारियों के लिए 100% स्टाफ क्वार्टर।
3. अनुपालिक उपरी प्रभार और भावी विकास व्यय सहित सभी आवर्ती एवं अनावर्ती व्यय।

प्रायोजक प्राधिकरण द्वारा विद्यालय के लिए आवर्ती / अनावर्ती व्यय के बजट की राशि की किस्तें प्रत्येक वित्तीय वर्ष के अप्रैल माह में प्रथम किस्त और अक्टूबर माह में द्वितीय किस्त उपायुक्त, केंद्रीय विद्यालय संगठन, क्षेत्रीय कार्यालय, तिनसुकिया के पास अग्रिम रूप में जमा की जाएगी।

यदि प्रायोजक प्राधिकरण अपनी प्रतिबद्धता का पालन करने में असफल रहता है तो आयुक्त, केंद्रीय विद्यालय संगठन को यह प्राधिकार प्राप्त है कि वह विद्यालय की कक्षाओं / सेक्शनों की संख्या कम कर सकते हैं अथवा प्रायोजकों को यथा समय नोटिस देकर केंद्रीय विद्यालय को बंद करने के लिए भी निर्देश दे सकते हैं।

इस केंद्रीय विद्यालय में प्रवेश केंद्रीय विद्यालय संगठन द्वारा उच्चतर शिक्षण संस्थान क्षेत्र के लिए समय समय पर विनिर्धारित प्राथमिकताओं / नियमों के अनुसार प्रदान किए जायेंगे।


(डॉ. ई. प्रभाकर)

संयुक्त आयुक्त (कार्मिक)

वितरण:

1. निजी सचिव, मा.सं.वि.म एवं अध्यक्ष, के.वि.सं, नई दिल्ली ।
2. निजी सचिव, सचिव (शिक्षा एवं साक्षरता) एवं डिप्टी चैयरमेन, के.वि.सं, नई दिल्ली।
3. निजी सचिव, उपाध्यक्ष, के.वि.सं, नई दिल्ली।
4. रजिस्ट्रार, नागालैंड विश्वविद्यालय, लूमामी परिसर, नागालैंड ।
5. उप सचिव (यूटी) मा.सं.वि.म., शास्त्री भवन, नई दिल्ली को सूचनार्थ ।
6. निजी सचिव/ कार्यकारी सहायक, आयुक्त, के.वि.सं, नई दिल्ली।
7. निजी सचिव, अपर आयुक्त (प्रशा.)/ (शैक्षिक), के.वि.सं, नई दिल्ली।
8. संयुक्त आयुक्त (प्रशिक्षण), केविसं(मु.) को उनके नोट दिनांक 02.08.2016 के संदर्भ में सूचनार्थ ।
9. संयुक्त आयुक्त (शै.), के.वि.सं, नई दिल्ली को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई के लिए ।
10. उपायुक्त, केविसं क्षे .का. तिनसुकिया को इस अनुरोध के साथ कि वे संबन्धित प्राधिकारियों से संपर्क कर के.वि .को 01.04.2017 से संचालित करे। उनसे यह भी अनुरोध है कि यह स्कूल जिस संसदीय क्षेत्र में आता है उसका नाम भी रेकॉर्ड हेतु इस कार्यालय में भेजे।
11. संयुक्त आयुक्त (प्रशिक्षण)/ (प्रशा.)/ (कार्मिक), के.वि.सं को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई के लिए ।
12. संयुक्त आयुक्त (वित्त), के.वि.सं, नई दिल्ली को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई के लिए ।
13. उपायुक्त, के.वि.सं., समस्त क्षेत्रीय कार्यालय।
14. उपायुक्त ई.डी.पी .को के.वि.सं .की वैबसाइट पर अपलोड करने के लिए।
15. सचिव, के.मा.शि. बो. 2, कम्यूनिटी सेंटर, प्रीत विहार, दिल्ली-92 ।
16. निदेशक, के.वि.सं .समस्त शिक्षा एवं प्रशिक्षण आंचलिक संस्थान।
17. केविसं (मु.) के सभी अधिकारी एवं अनुभाग।
18. आई फाइल।